प्रकरण संख्या 41/2017 श्रीमती फती बनाम श्रीमती कमला

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.02.2020	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जाडी में आराजी नंबर 55, 115, 116, 154, 396, 438, 446, 501/162 कुल खेत 8 रकबा 17.45 एकड भूमि स्थित हो वादी व प्रतिवादी संख 1 से 6 की पैत्रृक भूमि है। मूल पुरूष घीसा जी होकर वादी एवं प्रतिवादीगण उनके वारिस हैं। वादी के पिता रामचन्द्र के कोई पुत्र संतान नहीं होने से वादी अपने पिता के यहां अपने पति के साथ ही रहती थी एवं सर्वे नंबर 55 व 438 से आजीविका अर्जित कर अपने पिता की देखरेख करती थी। उक्त आराजी पर वादिया का 20 वर्षो से निरन्तर कब्जा है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने दुरभि संधि से नामान्तरकरण अपने नाम स्वीकृत करवा लिया। अतः वादग्रस्त पैत्रृक आराजियात का वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के मध्य काबिज व हिस्से अनुसार विभाजन किया जाकर वादिया के कब्जे काश्त की आराजी नंबर 55 व 438 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 01.06.2017 से वादी का वाद डिक्री किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री भगवतपुरी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 व 6 औपचारिक पक्षकार की ओर पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः	

दोहराते हुए बताया कि प्रकरण प्रतिवादीगण की तामिल व जवाबदावे हेतु नियत था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना जवाबदावा लिऐ एवं बिना तामिल के प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 23.01.2017 को दर्ज किया जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.03.2017 नियत की गयी, किन्तु उक्त दिनांक को पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने से प्रकरण दिनांक 03.05.2017 को रखा गया, किन्तु बिना अपीलान्टगण को सूचना दिये एवं उन्हें बिना सुने तथा बिना तामिल व जवाबदावा लिये उक्त दिनांक के स्थान पर प्रकरण सीधे ही दिनांक 01.06.2017 को राजस्व लोक अदालत में रखकर रेस्पोन्डेन्ट/वादी का वाद डिक्री दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.04.2020 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.03.02 13:36:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: